निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – रामसुख गुर्जर, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या वाद –60/16

अनवान

1. शान्तीलाल पिता श्री उंकार तेली निवासी दोलपुरा तह0 रावतभाटा

वादी

बनाम

1. बसन्तीलाल पिता श्री उंकार जाति तेली निवासी दोलपुरा तहसील रावतभाटा
2. नाराण पिता श्री बसन्तीलाल तेली निवासी दोलपुरा तहसील रावतभाटा
3. भैरूलाल पिता श्री बसन्तीलाल तेली निवासी दोलपुरा तहसील रावतभाटा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रावतभाटा जिला– चित्तौड़गढ़

प्रतिवादीगण

(वादपत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थित – श्री अर्जुन सिंह अभिभाषक वादी

श्री प्रदीप कुमार बिल्लू अभिभाषक प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक– 03.03.2021

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उक्त वाद वादी ने दिनांक 7.10.2016 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम दोलपुरा पटवार हल्का टोलो का लुहारिया तहसील रावतभाटा में स्थित खाता संख्या 44 आराजी संख्या 167 रकबा 0.33 है0 पर वादी का कब्जा चला आ रहा है। उक्त विवादित आराजी मुझ वादी की खातेदारी दर्ज रिकार्ड की होकर वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त है तथा वादी के अलावा अन्य किसी को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। उक्त जमीन पर मुझ वादी निर्विवाद रूप से खेती करते चला आ रहा है, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 03 ने मिलिभगत करके उक्त आराजी पर कब्जा कर रखा है, ओर कहते हे कि यह आराजी तो हमारी है इस पर तुम्हारा कोई हक अधिकार नही है, जबकि वादी खातेदार होकर आराजी का मालिक है प्रतिवादीगणों को कोई हक अधिकार प्राप्त नही है। वादी की उक्त खातेदारी आराजी पर प्रतिवादी संख्या 01 से 03 ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है, और वादी ने प्रतिवादीगणों को कब्जा छोडने के लिए कहा तो मना कर दिया तथा लडाई झगडा करता रहता है इसलिए वादी द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दोलपुरा प0 ह0 टोलो का लुहारिया की खाता संख्या 44 खसरा संख्या 167 रकबा 0.33 हैक्टेयर से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जाकर बेदखल कर कब्जा पुनः वादी को कब्जा सुपुर्द किये जाने के आदेश प्रदान किया जाए।

दौराने वाद प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उनकी ओर से जवाब दावा एवं धारा 88 रा.टी.अधिनियम के तहत प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया जिसका जवाब

वादी मय अधिवक्ता द्वारा दिया गया है जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 की ओर से दिनांक 02.07.2019 को न्यायालय में अधिवक्ता प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहें एवं बार–बार आवाज लगाने पर भी कोई उपस्थित नहीं हुआ जिससे प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 की ओर से प्रस्तुत प्रतिदावा धारा 88 रा.टी.एक्ट को अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारीज करने के आदेश पारित हुए तथा वादी शान्तीलाल की ओर से उक्त दिनांक को ही गवाहन PW-1 का शपथ प्रस्तुत किया गया तथा न्यायालय मे गवाहन को प्रक्षित किया गया तथा जमाबन्दी प्रदर्श–1 है जो वादी के नाम की खाते की जमीन है तथा नक्शा ट्रेस प्रदर्श–2 है जो वादी के नाम की खाते की आराजी का है। वकील वादी की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी प्रदर्श–1 ग्राम दोलपुरा प0ह0 टोलो का लुहारिया की खाता संख्या 44 खसरा संख्या 167 रकबा 0.33 हैक्टेयर लगानी 1.65 रूपये खाते मे शान्तीलाल पिता उकांर तेली साह खातेदार दर्ज रेकार्ड है जो नक्शा ट्रेस प्रदर्श–2 में अलग से तरमीम है। इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि ग्राम दोलपुरा प0ह0 टोलो का लुहारिया की खाता संख्या 44 खसरा संख्या 167 रकबा 0.33 हैक्टेयर लगानी 1.65 रूपये भूमि का वादी शान्तीलाल एकमात्र खातेदार काश्तकार है तथा वादी का ही उक्त भूमि का स्वामित्व है जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 बसन्तीलाल पिता उकार तेली, नाराण,भैरूलाल पिता बसन्तीलाल तेली निवासी दोलपुरा द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा जिन्हे बेदखल कर कब्जा वादी को सुपुर्द किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। कब्जा वादी को सुपुर्द किया जाने हेतु तहसीलदार रावतभाटा को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2021 को सुनाया गया। निर्णयानुसार डिक्री जारी की जावे।

(रामसुख गुर्जर)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा